<u>महत्वपूर्ण/तत्काल/सर्वोच्च प्राथमिकता</u>

<u>संख्या - 27/396/84-2-2013-सीपी 24/2006 टीसी</u>

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
फर्रूखाबाद।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 25 सितम्बर, 2013

विषय भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), कृषि भवन, नई दिल्ली से प्रदेश में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त धनराशि की उपयोगिता विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-859/जि0पू0अ0/दु0अनु0/2012, दिनांक 11-12-2012 के संदर्भ में शासन के पत्र संख्या-266/84-2-2013-सीपी 24/2006, दिनांक 27-06-2013 एवं पत्र संख्या-290/84-2-2013-सीपी 24/2006 टीसी, दिनांक 05-08-2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार को समय से उपयोगिता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से प्रेषित किये जाने हेतु भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिदेशात्मक (mandatory) स्थायी आदेश हैं एवं इसे नहीं भेजे जाने के कारण उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम हेतु भविष्य में भारत सरकार द्वारा धनराशि की स्वीकृति बाधित हो जायेगी जो प्रदेश सरकार के वित्तीय उपाशयों एवं जागरूकता कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। अत: कृपया (अवशेष धनराशि रू0 52/- के साथ) सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र जीएफआर 19ए पर शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या-27/396(1)/84-2-2013, तददिनांक</u>

प्रतिलिपि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह अपने स्तर से भी जिला पूर्ति अधिकारी को पत्र भेजकर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in